भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

F.No. -: 9-PBB306/2018-CHA दिनांक: 27 फरवरी 2018
28

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ।

विषय:- **Diversion of 0.1627 ha. of forest land in favour of IRM Energy Pvt. Ltd for permission for Laying 6" dia steel and 125" dia PE Gas Pipeline to develop City Gas distribution network in Mandi Gobindgarh and its Surrounding area in District Fatehgarh Sahib under Forest Division Patiala, Punjab (Online proposal No. FP/PB/OTHERS/25029/2017) regarding.**

संदर्भ:- अतिरिक्त सचिव, पंजाब, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/192/2017/2747 दिनांक 13.02.2018.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.1627 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है|

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से एसीए स्कीम के अनुसार एसीए प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशी जमा कराई जाये और एसीए साईट सुतेब्लिटी सर्टिफिकेट डबल स्पेस के अनुसार 600 पौधों के लगाने के लिए 1.2 है० के लिए भेजें |

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट http//forestsclearance.nic.in या http//efclearance.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा |

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

बेज नं.24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email** : ronz.chd-mef@nic.in

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पौधे काटे जायेंगे | काटे जाने वाले पौधों की संख्या 300 से अधिक नहीं होगी |

iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

v. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

viii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ,वन संरक्षण अधिनियम , 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगाकेन्द्रीय सरकार की | अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा ।

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है |

भवदीय,

28/02/2018

(सी०डी० सिंह)

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला पटियाला, पंजाब |
4. IRM Energy Pvt. Ltd., 4th Floor, 8th Block, Magnet Park, Nr. Sola Bridge, S.G. Highway, Thaltej, Ahemdabad-380054, Gujrat, India.

*बेज नं .24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030*
*दूरभाष/**Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email** : ronz.chd-mef@nic.in*